

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर  
ई-मेल:adpensionsjed@gmail.com दूरभाष: 0141- 2740637

क्रमांक :-एफ.9(05)(12-11)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014-15/ 13070

जयपुर दिनांक 16/12/19


आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के अध्याय-3 के नियम-4 पात्रता के उपनियम-4 के नीचे निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(5.) ऐसी विधवा महिलाओं के लिए, जिनके पति सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति रहे हों, और जिन्हें सक्षम स्तर से तत्संबंधी प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, विधवा पेंशन हेतु आय की कोई सीमा नहीं होगी।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 101905241 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

  
(अखिल अरोरा)  
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :-एफ.9(05)(12-11)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014-15/ 13071- 67) जयपुर दिनांक 16/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज.जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त (समस्त)/जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग/वित्त (नियम) अनुभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।

12. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
13. संयुक्त निदेशक, आई एफ एम एस, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी वित्त भवन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सुविधा RAJSSP पोर्टल पर उपलब्ध कराने का श्रम करावे।
15. संयुक्त निदेशक (आई टी)/एसीपी (पेंशन) कंप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
16. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
17. आदेश पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय)